Phone & Fax:– 01352530431, 01352531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 1106 /नियो0–2(एस.डी.आर.एफ.)/2018 दिनांक 10 .12.2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
टिहरी/देहरादून/पौड़ी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओं के पुनर्निर्माण /तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के अन्तर्गत 32 नं0 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

सन्दर्भः– शासनादेश संख्या 1763/XVIII–(2)/18–12(4)/2013टी0सी0 दिनांक 03.07.2018।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानसून अवधि के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गो/सेतुओं के पुनर्निर्माण एवं बन्द मार्गों को तात्कालिकता के आधार पर यातायात् हेतु खोले जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹ 16.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के सापेक्ष राज्य आपदा मोचन निधि के कार्यों हेतु निर्धारित मानको के अन्तर्गत गठित निम्नलिखित 32 नं0 आगणनों पर ₹ 386.72 लाख (₹ तीन करोड़ छियासी लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(i) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(ii) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा, जोकि एस0डी0आर0एफ0 के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य है।

(iii) स्वीकृत कार्यो में से 5 प्रतिशत कार्यों का सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जॉच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायगी।

(iv) इस योजना में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय, कि चयनित कार्यों हेतु अन्य विभागीय योजनाओं अथवा अंन्य विभागों के बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। यदि धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि एस0डी0आर0एफ0 मद में प्राप्त आवंटन से व्यय की जायेगी।

(v) स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रवृत्ति के पुनर्निर्माण/तात्कालिक कार्यों हेतु उपयोग की जायेगी। नवनिर्माण के कार्यों में विषयक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मेनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेंट रूल्स–2018 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner